(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 136 के अन्तर्गत)

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

प्रशासन गांवों के संग–2021

राजस्व ग्राम ओर ..... प०म० ओर ..... भू०अ०नि०वृत्त आबूरोड ..... तहसील– आबूरोड .....

क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा Hec	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	27	48	0.4805	कपोदेवी पत्नि कालुराम हिस्सा 2/3 जाति सरगरा का० देह खातेदार राजिन हिस्सा 2/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा KINVERLI	कपोदेवी पत्नि कालुराम हिस्सा 2/3 जाति सरगरा का देह खातेदार राजिन हिस्सा 2/3 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा KINVERLI	→ 129/2026
2.	27	48	0.4805	संजय पुत्र कालुराम हिस्सा 1/6 जाति सरगरा का देह खातेदार राजिन हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा KINVERLI	संजय पुत्र कालुराम हिस्सा 1/6 जाति सरगरा का देह खातेदार राजिन हिस्सा 1/6 (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा KINVERLI	→ 130/2026

मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संवत 2025 2026 जमाबन्दी 2026 (वर्ष 2019) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर के समक्ष श्रवण योग्य है। 07/04/26 पटवारी (भू.अ.) पटवार मण्डल ओर तह.–आबूरोड, जिला–सिरोही (राज.) ह० पटवारी प०म०..... दिनांक	साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है। दिनांक 7/4/26 ह० भू०अ०नि० वृत्त आबूरोड.....	प०हल्का ओर भू०अ०नि० आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओ के दौरान / पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय अलवर को सादर प्रेषित है। 8/04/26 तहसीलदार आबूरोड जिला–सिरोही ह० राजस्व अधिकारी	प०हल्का..... भू०अ०नि०..... राजस्व अधिकारी.....की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जावे। उपखण्ड अधिकारी आबूरोड ह० उपखण्ड अधिकारी